झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः— अमृत योजनान्तर्गत प्रस्तावित राँची जलापूर्ति परियोजना (फेज–1) के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में स्वीकृत प्राक्कलित राशि 14806.03 लाख रूपये को रद्द करते हुए योजना के विस्तारित आवृत क्षेत्र के अनुसार वर्तमान प्राक्कलित राशि 26143.02 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

3620 13/07/18

नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में राँची शहरी जलापूर्ति परियोजना का सूत्रण किया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अमृत योजना के State Annual Action Plan में स्वीकृत की गई राशि के आधार पर राँची शहरी जलापूर्ति योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) इसके प्रस्तावित आवृत क्षेत्र (मेन रोड, राँची के पूर्व एवं पश्चिम के आधार पर) को विभक्त करते हुए तीन चरणों (फेज–1, 2A तथा 2B) में तैयार किया गया है। तीन अलग चरणों में DPR तैयार करने का मुख्य कारण परियोजना का अलग स्त्रोतों से प्रस्तावित वित्तपोषण एवं आच्छादन क्षेत्र में भूमि की सुलभ उपलब्धता है।

2. फेज–1 एवं 2A में Distribution System तथा जलमीनार के कार्यों को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, ताकि राँची शहर में न केवल शत प्रतिशत Network Coverage हो वरण Water Pressure की समस्या का समुचित समाधान भी संभव हो सके। फेज–2B में एक WTP तथा 24 नए जलमीनारों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें एक को छोड़ सभी जलमीनार मेन रोड से पूर्वी क्षेत्रों में जलापूर्ति करने में सहायक सिद्ध होंगे।

3. प्रथम चरण की योजना अमृत योजना अंतर्गत प्रस्तावित है, जिसके तहत 14 नए जलमीनारों का निर्माण प्रस्तावित है। इस चरण में जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति किया जाना है वहाँ पूर्व से कुल 21 जलमीनार विद्यमापन हैं। प्रथम चरण में इन सभी 35 जलमीनारों के लिए 35 जोन में Distribution System बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य जोन में भी Distribution System का निर्माण भी प्रथम चरण में ही प्रस्तावित है। प्रथम चरण में 15 जलमीनारों के लिए लगभग 80 कि०मी० का Rising main भी बनाया जाना प्रस्तावित है। जलापूर्ति के ये सभी क्षेत्र मेन रोड के पश्चिम दिशा में अवस्थित हैं।

4. उक्त के अनुसार, राँची शहरी जलापूर्ति परियोजना (फेज–1) के लिए तैयार किये गए प्राक्कलन 14806.03 लाख रुपये को अमृत योजना अंतर्गत प्रस्तावित किया गया जिस पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जुडको लि० के द्वारा निविदा प्रकाशित की गई। परियोजना में प्रस्तावित 24x7 जलापूर्ति के लिए Centralised SCADA Centre हेतु ESR के साथ Rising mains का भी समेकित निर्माण आवश्यक था ताकि SCADA का एकीकृत संचालन संभव हो सके। ऐसा नहीं होने के कारण संवेदक संभवतः रख–रखाव की अवधि में आने वाली संभावित कठिनाइयों की आशंका के चलते निविदा में भाग लेने में संकोच कर रहे थे, जिसके कारणवश दो बार निविदा प्रकाशित होने पर भी किसी भी निविदादाता द्वारा निविदा समर्पित नहीं किया गया फलस्वरूप निविदा रद्द करनी पड़ी।

5. कालांतर में परियोजना के फेज–2A का DPR तैयार कर लिया गया। अमृत योजना में निधि की उपलब्धता होने के कारण कार्यहित में यह निर्णय लिया गया कि इन दोनों योजनाओं को एक साथ सन्निहित कर अमृत योजनान्तर्गत प्रस्तावित किया जाए ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के स्तर से उपलब्ध राशि का सदुपयोग हो सके तथा दो पृथक निविदाएँ आमंत्रित न करनी पड़े। उक्त निर्णय के आलोक में पूर्व में स्वीकृत फेज–1 तथा फेज–2A के प्रस्तावित प्राक्कलन को सन्निहित किया गया जिसके अनुसार वर्तमान प्राक्कलित राशि 26143.02 लाख (दो सौ एकसठ करोड़ तैंतालिस लाख दो हजार) रु० रुपये को मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसे अमृत योजनांतर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के द्वारा भी अनुमोदित किया गया है।

6. फेज–2B में 210 MLD एक नया WTP का निर्माण प्रस्तावित है। इसे अलावा मेन रोड़ से पूर्व की तरफ 23 तथा पश्चिम के तरफ एक नया ESR का निर्माण भी प्रस्तावित है। WTP एवं नए ESRs बनने के बाद ही संपूर्ण योजना क्षेत्र में 24x7 जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। नया WTP से राँची तक 24 कि0मी0 लम्बी Rising main से पानी लाने में कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है, अतएव इस कार्य को फेज–2B में प्रस्तावित किया गया है। चूँकि वर्तमान में फेज–2B के आवृत क्षेत्र हेतु चिन्हित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी है एवं अमृत योजना के अंतर्गत पर्याप्त निधि भी उपलब्ध नहीं है अतः फेज–2B के लिए तैयार किये जा रहे DPR के अनुसार प्रस्तावित परियोजना का वित्तपोषण अलग स्त्रोत से किया जाना प्रस्तावित है जिसका निर्धारण कर पृथक रूप से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

3620
13/07/18

7. राँची शहरी जलापूर्त्ति परियोजना (फेज–1) के अंतर्गत राँची शहरी क्षेत्र के 75897 घरों को लाभान्वित किया जाना था। फेज–2A को सन्निहित करने के उपरांत इसे विस्तारित करते हुए राँची शहरी क्षेत्र के समस्त 207636 घरों को योजना से आच्छादित किया जा सकेगा। वर्तमान में राँची शहरी क्षेत्र में कुल 100701 घरों में ही जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध है। समुचित वितरण व्यवस्था (Distribution Network) की अनुपलब्धता के कारण शेष घरों तक जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध करा पाना वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है। वर्तमान प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन से शेष 106935 घरों को जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध हो सकेगा।

8. प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र हेतु वर्तमान में कार्यरत जलापूर्ति व्यवस्था के तहत हटिया में अधिष्ठापित 57 MLD, गोंदा में अधिष्ठापित 20 MLD एवं रूक्का में अधिष्ठापित 285 MLD क्षमता के Water Treatment Plant (WTP) अर्थात कुल 362 MLD का उपयोग किया जाएगा। यह WTP आच्छादित क्षेत्र के वर्ष 2050 तक की माँग (234 MLD) को पूर्ति करने में सक्षम हैं।

9. पूर्व में स्वीकृत फेज–1 परियोजना में अपर्याप्त वितरण व्यवस्था (Distribution Network) के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं भविष्य के मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2050 तक की योजना के अनुसार तैयार Network Design के अंतर्गत विभिन्न क्षमता वाले कुल 14 नए जल–मिनारों (ELSRs) का निर्माण प्रस्तावित था। फेज–2A को सन्निहित करने के उपरांत 14 नए जलमिनारों के निर्माण के साथ पूर्व में निर्मित 22 जलमिनारों से भी जलापूर्ति सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार परियोजना के आच्छादन क्षेत्र को 23 जोन से विस्तारित कर 36 जोन किया जायेगा।

10. इस परियोजना के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित Service Level Benchmarks एवं भविष्य के मांग के आधार पर 24×7 जलापूर्ति व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

11. अमृत योजना के दिशा–निर्देशिका की कंडिका–5 के उपकंडिका–5.1 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के DPR में रख–रखाव (Operation & Maintenance) की तय समय–सीमा 5 वर्ष निर्धारित है।

12. इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अमृत योजनांतर्गत प्रस्तावित जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत किए गए Model Bid Document का उपयोग किया जायेगा।

13. इस परियोजना के प्रस्तावित अवयव निम्नलिखित है :–

Components	Details
ESR (14 Nos)	2.45 ML – 1 No., 2.30 ML - 1 No, 2.15 ML – 1 No, 2.05 ML – 3 Nos, 2.00 ML – 2 Nos, 1.95 ML – 1 No, 1.85 ML – 1 No, 1.65 ML – 1 No, 1.55 ML – 1 No, 1.45 ML - 1 No and 1.40 ML – 1 No.
Distribution System	Total Length (Existing + Proposed) – 858.84 KM (100% coverage)
SCADA	Up to ESR outlet
House connection & consumer Metering	100% coverage of proposed area (207636 Connection)

14. मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन के प्राक्कलन को निम्नवत स्वीकृति प्रदान की गई है :-

3620
13/07/18

Sl. No.	Item Description	Total Amount (Rs. In Lakhs)
1	Estimate of Rising Main to Feed 15 nos. of New ESRs	3,465.34
2	Estimate of Distribution System (36 sub Zones)	12,171.19
3	Estimate of Elevated Service Reservoirs (14 Nos)	1,775.47
4	Estimate of NH-23 & NH -75 Crossing at 12 Locations	93.40
5	House Service Connection with meter (106935 nos.)	4,446.64
6	Compound Wall with Gate for 14 nos. of Prop. ESR	84.03
7	Approach Road for 14 nos. of Prop. ESR	15.09
8	AMR meter (100 nos.) for 50mm pipe dia. @ INR 37960	37.96
9	Centralized SCADA Center with automation equipment	1,326.11
10	Repair of Existing GLSR at Harmu Pahari	2.79
11	EMP and Environmental Monitoring	26.81
	Total (A)	**23,444.82**
	Detailed Project Report Phase-1	
12	Labour Cess @ 1% on (A)	234.45
13	JUIDCO Charges (योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प सं. 3201 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार)	630.57
14	DPR Consultancy Charges @ 0.97% on (A)	204.25
15	PMC Charges @ 2.06% on (A)	433.77
	Total (B)	**1,503.03**
	Total CAPEX (A+B)	**24,947.85**
5 YEARS EXPENDITURE IN OPERATION & MAINTENANCE (O& M)		
16	O& M for 1st year excluding annual repair charges.	91.52
17	O&M for 2nd year (As per item No. 16 + 10% of item No. 16) Including annual repair charges	197.99
18	O & M for 3rd year (As per item No. 17 + 10% of item No. 17)	217.79
19	O & M for 4th year (As per item No. 18 + 10% of item No. 18)	239.57
20	O & M for 5th year (As per item No. 19 + 10% of item No. 19)	263.52
21	Comprehensive 5 Year O & M cost of Centralized SCADA Centre	184.78
	Total OPEX (C)	**1,195.17**
	Total Project Cost(A)+(B)+(C)	**26,143.02**

15. उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रस्तावित परियोजना की लागत राशि (CAPEX) 24947.85 लाख रु॰ है एवं रख-रखाव की राशि (OPEX) 1195.17 लाख रु॰ है। अमृत योजना के दिशा-निर्देशिका अनुसार प्रस्तावित परियोजना के लागत राशि (CAPEX) का वित्त पोषण निम्नलिखित स्रोतों से किया जाएगा :-

(Amount in Lakhs)

Name of Project	Approved Project Cost (CAPEX)	Central Share	State Share	ULB Share		Additional State Share
				14th F.C.	Others	
Ranchi Water Supply Scheme	24947.85	4982.62	5979.14	3188.87	797.22	10000.00

16. परियोजना की लागत राशि (CAPEX) में 4982.62 लाख रु॰ "शहरी पुनर्रुत्थान मिशन (केन्द्रांश)", 5979.14 लाख रु॰ "शहरी पुनर्रुत्थान मिशन (राज्यांश)", निकाय अंश के रूप मे देय कुल 3986.09 लाख रु॰ का 80% 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध निधि से किया जायेगा एवं शेष 20% राज्य सरकार द्वारा "शहरी पुनर्रुत्थान मिशन (राज्यांश)" अंतर्गत कर्णांकित राशि से देय होगा। परियोजना के लागत की अधिशेष राशि 10000.00 लाख रु॰ का वहन "अतिरिक्त राज्यांश" के रूप में किया जाएगा।

17. उपर्युक्त कंडिका-17 में अंकित "अतिरिक्त राज्यांश" के 10000.00 लाख रु॰ एवं परियोजना के रख-रखाव में (5 वर्षो के लिए) व्यय होने वाली राशि (OPEX) 1195.17 लाख रु॰ का वहन राज्य योजना अंतर्गत शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद *मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-94-शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)* से किया जाएगा।

18. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं आवश्यक राज्यांश की राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के अंतर्गत अमृत योजना के पृथक बैंक खाते में संधारित किया जाना है। योजना–सह–वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत राज्य शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत अमृत परियोजनाओं हेतु एक पृथक बैंक खाता संधारित किया गया है, जिसमें परियोजनाओं हेतु निर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संधारित है। अतः उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से किया जायेगा।

3620
13/07/18

19. राँची नगर निगम द्वारा पत्रांक–38 दिनांक 18.01.2018 के माध्यम से तकनीकी रूप से दक्ष कर्मियों के अभाव के कारण परियोजना का क्रियान्वयन जुडको लि॰ के द्वारा किए जाने का लिखित अनुरोध समर्पित किया गया है, अतः योजना का क्रियान्वयन जुडको लि॰ द्वारा किया जायेगा।

20. परियोजना के रख–रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय–सीमा के लिए एक कार्य योजना (O&M Plan) तैयार की गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

क) रख–रखाव हेतु चयनित संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।

ख) गुणवत्ता एवं निर्बाध सेवा को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर उक्त कार्य हेतु चयनित संवेदक के भुगतान का आकलन किया जायेगा।

ग) रख–रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रिडींग कर निकाय के द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Chages) के अनुसार नवीनतम तकनीकों (E-mail, SMS आदि) का प्रयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा इस विपत्र के विरुद्ध भुगतान किया जा सकेगा।

घ) संवेदक को रख–रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

21. उपर्युक्त के क्रम में निम्नलिखित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क) राँची जलापूर्ति परियोजना (फेज–1) के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में स्वीकृत प्राक्कलित राशि 14806.03 लाख रूपये को रद्द करते हुए योजना के विस्तारित आवृत क्षेत्र के अनुसार वर्त्तमान प्राक्कलित राशि 26143.02 लाख रूपये को प्रशासनिक स्वीकृति।

ख) उपरोक्त कंडिका 12 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार परियोजना के क्रियान्वयन हेतु Model Bid Document के उपयोग की स्वीकृति।

ग) उपरोक्त कंडिका 15–17 में वर्णित परियोजना के वित्तपोषण प्रस्ताव पर स्वीकृति।

22. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 03.07.2018 में मद संख्या 04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राज्य पत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– JUIDCO Ltd./Water Supply Ranchi(Part-C)/DPR/436-2016 3620 राँची, दिनांक–13/07/18

प्रतिलिपि –अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– JUIDCO Ltd./Water Supply Ranchi(Part-C)/DPR/436-2016.....3620..... राँची, दिनांक–13/07/18

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची/उपायुक्त, राँची/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको लि० को सूचनार्थ/श्री कुणाल कुमार, विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।